UPKU010000362001

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थितः– **संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०**–UP2018

सत्र परीक्षण संख्या – 02 / 2001

उ०प्र० सरकार।

–––अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– मोहन बउम्र करीब 41 वर्ष पुत्र हरिकिशुन हरिजन,

साकिन–नरसर टोला मिश्रौली, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर।

2– रामेश्वर बउम्र करीब 43 वर्ष पुत्र भग्गन हरिजन,

साकिन–परसौनी मुकुन्दहा, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर।

––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०– 224/2000

धारा– 302/34, 201 भा०द०सं०,

थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता – श्री गोरख प्रसाद यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता – श्री राकेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट।

निर्णय

01– प्रस्तुत प्रकरण जो मु०अ०सं०–224/2000, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर से सम्बन्धित है, का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है जिसमें धारा – 302, 201, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण मोहन हरिजन व रामेश्वर हरिजन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान पडरौना द्वारा दिनांक 04.07.2000 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा विचारण हेतु दिनांक 13.12.2000 को इस न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

02– प्रकरण के वादी मुकदमा बृजा यादव पुत्र कुकुर यादव की लिखित तहरीर दिनांकित 02.04.2000 (प्रदर्श क–1) के आधार पर थाना–कसया, जिला–कुशीनगर पर दिनांक 02.04.2000 को समय 09:05 बजे मु०अ०सं०–224/2000 पर धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत चार अभियुक्तगण क्रमशः मोहन, छठू यादव, जयराम व काशी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर चिक एफ०आई०आर० किता की गई और विवेचक को विवेचना सुपुर्द की गई।

वादी मुकदमा द्वारा दी गई लिखित तहरीर इस प्रकार हैः–

"प्रार्थी बृजा यादव पुत्र कुकुर यादव, ग्राम–करहिया हजारीपट्टी थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर का निवासी है। मेरा भतीजा अनरुद्ध यादव पुत्र श्री किशुन यादव ग्राम–खरदेवा के मड़ि सिंह के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। लगभग 10 दिन पहले किसी कारण वश मेरे भतीजे को ट्रैक्टर चलाने से मना कर दिए थे। पुनः मेरे घर आकर मेरे भतीजे को ट्रैक्टर चलाने हेतु ले गए और उन्हीं का ट्रैक्टर मेरा भतीजा चलानें लगा। ग्राम

मिश्रौली के हरिकिशुन हरिजन के लड़की से मेरे भतीजे अनरुद्ध का नाजायज संबंध हो गया था। यह बात मोहन पुत्र हरिकिशुन व उनके साथी छठू यादव पुत्र ठग, जयराम पुत्र शारदा राव निवासी–नरसर टोला मिश्रौली, काशी पुत्र ज्ञानी चौहान निवासी खरदेवा टोला सहजवलीया, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर को अच्छी नहीं लगती थी। कल दिनांक 01.04.2000 को मेरा भतीजा अनरुद्ध मड़ि सिंह के यहाँ से करीब पाँच बजे शाम नरसर चौराहे पर आया, काशी के दुकान पर पान खाया और सूरज बनिया के यहाँ सुर्ती लिया रात में घर नहीं लौटा आज सुबह मेरे भतीजे अनरुद्ध की लाश सड़क पर बिन्देसरी के खेत के पास मिली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोहन और उनके साथी छठू, जयराम व काशी मिलकर मेरे भतीजे की हत्या कर दिए हैं। लाश मौके पर पड़ी है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करें।"

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा–201 व 506 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी करते हुए एवं अभियुक्तगण छठू यादव, जयराम व काशी की नामजदगी गलत पाते हुए एवं अभियुक्त रामेश्वर हरिजन के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उसकी संलिप्तता अपराध में पाते हुए अभियुक्तगण मोहन हरिजन व रामेश्वर हरिजन के विरूद्ध धारा–302, 201, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

03– इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त पुलिस प्रपत्रों व सामग्री का परिशीलन करने के उपरान्त दिनांक 19.03.2001 को अभियुक्तगण मोहन हरिजन व रामेश्वर हरिजन के विरूद्ध धारा–302/34, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की याचना की गई।

04– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए निम्नलिखित कुल 08 साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया हैः–

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
P.W.–1	बृजा यादव	वादी मुकदमा/चाचा मृतक
P.W.–2	इन्द्राशन	चाचा मृतक
P.W.–3	नरेश	स्वतंत्र साक्षी
P.W.–4	नत्थू	साक्षी बाबत बरामदगी शीशी
P.W.–5	भृगुराशन यादव	चाचा मृतक
P.W.–6	शम्भू सिंह	स्वतंत्र साक्षी
P.W.–7	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक विभूती प्रसाद कन्नौजिया	एफ०आई०आर० लेखक
P.W.–8	सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक मु० कासिम	विवेचक

05– अभियोजन द्वारा पत्रावली पर दाखिल निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य साबित कराए गए हैंः–

प्रदर्श संख्या	दस्तावेज/प्रपत्र	साबित करनें वाले साक्षी
क–1	मूल तहरीर (कागज सं० 5 क)	P.W.–1
क–2	चिक एफ०आई०आर० (कागज सं० 4 क)	P.W.–2

क–3	जी०डी० कायमी 19/9:05 (कागज सं० 7 क)	P.W.–2
क–4	फर्द बरामदगी बाबत बैट्री का पानी (कागज सं० 9 क)	P.W.–8
क–5	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल शीशी (कागज सं० 19 क)	P.W.–8
क–6	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल शव (कागज सं० 8 क)	P.W.–8
क–7	पंचायतनामां (कागज सं० 12 क/1 ता 12 क/2)	P.W.–8
क–8	फोटोनाश (कागज सं० 13 क)	P.W.–8
क–9	नमूना मोहर (कागज सं० 15 क)	P.W.–8
क–10	चालान शव (कागज सं० 16 क)	P.W.–8
क–11	नकल जी०डी०नं० 14/9:05 (कागज सं० 10 क/1)	P.W.–8
क–12	डॉकेट बाबत फोरेन्सिक जाँच (कागज सं० 21 क/1)	P.W.–8
क–13	आरोप पत्र (कागज सं० 3 क)	P.W.–8

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उपरोक्त अभियोजन प्रपत्रों के अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी से साबित नहीं कराया गया है।

06– सर्वप्रथम पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक अभियोजन साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

P.W.–1, बृजा यादव (वादी मुकदमा)

अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा बृजा यादव को न्यायालय में दिनांक 10.01.2023 को P.W.–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से लगभग 22 वर्ष 09 माह पूर्व की है। मृतक अनिरूद्ध उसका भतीजा था। वह उस समय ग्राम मिश्रौली के मणि सिंह के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था और वहीं रूक जाया करता था। वहाँ रहने के दौरान ही उसके भतीजे अनिरूद्ध का नाजायज सम्बन्ध हरिकिशुन हरिजन की लड़की तथा जिसकी शादी रामेश्वर पुत्र भगन हरिजन, साकिन–परसौनी मुकुन्दहा के साथ हुई थी, जिसका नाम शायद सुगन्धी था से हो गया था। इस लड़की का मौसेरा भाई मोहन जो नरसर टोला मिश्ररौली का रहने वाला था। नाजायज सम्बन्ध की जानकारी मोहन को तथा रामेश्वर को हो गई थी जिसके कारण वे दोनों उसके भतीजे अनिरूद्ध से दुश्मनी रखते थे। घटना वाली रात के पूर्व शाम को उसका भतीजा मणि सिंह के घर से ही शाम को लगभग 05.00 बजे नरसर चौराहे पर काशी की दुकान पर पान खाया था व सूरज बनिया के वहाँ से सुर्ती खरीदा था। उसी रात मोहन ने अपने मौसेरे बहनोई रामेश्वर को साथ लेकर उसके भतीजे अनिरूद्ध की गला कसकर हत्या दोनों मिलकर कर दिये तथा उसके भतीजे के चेहरे पर जानबूझकर तेजाब का पानी डाल दिये, ताकि उसका चेहरा पहचान में न आ पाये व उसकी लाश ग्राम करहिया हजारी पट्टी में विन्देश्वरी तेली के गेहूँ के खेत में सड़क की तरफ फेंक दिये थे। दूसरे दिन सुबह लाश मिलने की जानकारी पर वह

मौके पर गया था तो लाश देखा था और घटना का दरख्वास्त रामविलाश यादव से बोलकर लिखवाकर थानें जाकर दिया था जिस पर अपना निशानी अंगूठा लगाकर थानें दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क–5 मूल तहरीर दिखाया गया पढ़कर सुनाया गया उल्लेखित तथ्यों को तस्दीक करते हुए साक्षी ने बताया कि यह दरखास्त वही है जो उसनें रामबेलाश यादव से बोल–बोलकर लिखवाया था। लिखने के बाद उसने वह उसे पढ़कर सुनाया था। तब उसनें इस पर लगा निशानी अँगूठा लगाकर थाने पर यह दरखास्त देकर दर्ज कराया था। साक्षी ने स्वयं के बने निशानी अँगूठा की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

उक्त साक्षी नें यह भी कहा है कि अभियुक्त मोहन ने घटनां के पूर्व उससे मिलकर एक बार कहा था कि अपने भतीजे अनिरूद्ध को समझा दो कि हम लोगों की इज्ज़त के साथ खिलवाड़ न करें, नहीं तो मैं उसे ठीक कर दूँगा।

उक्त साक्षी नें यह भी कहा है कि उसने दरख्वास्त प्रदर्श क–1 में छट्टू यादव, जयराम का नाम भी लिखवा दिया था, क्योंकि यह लोग मोहन के साथ बराबर रहते थे लेकिन उसके भतीजे अनिरूद्ध की हत्या मोहन और रामेश्वर ने मिलकर किया है और उसके चेहरे व शरीर को तेजाब के पानी से जलाया था।

उक्त साक्षी नें यह भी कहा है कि दरोगा जी नें घटना के सम्बन्ध में उससे पूछ–तांछ कर बयान लिया था और घटना स्थल की नक्शा–नजरी भी बनायी थी। घटना के सम्बन्ध में जिन बातों की जानकारी उसे थी उसने दरोगा को अपनें ब्यान में बताया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष

बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 11.01.2023 प्रतिपरीक्षा किए जानें पर उक्त साक्षी नें कथन किया है कि श्रीकिशुन उसके भाई आज से करीब एक साल पहले मरे थे वह लगभग 65 साल का हुआ है। उसके तीन भाई है। एक वह, दूसरे श्रीकिशुन, तीसरे मैनेजर, वे तीनों भाई अलग–अलग रहते है। उसका भतीजा लगभग 18–19 वर्ष का था। मड़ि सिंह के यहाँ रहता था। कभी–कभी अपने घर आता था। हरिकिशुन की लड़की से उसके भतीजे अनिरूद्ध का सम्बन्ध था, इस बात की जानकारी उसे पहले नहीं थी। अनिरूद्ध की हत्या हो जाने के बाद उसे इस बात की जानकारी हुई हत्या हो जाने के बाद जब पुलिस आई थी तब पुलिस वालों नें उससे यह बात बताई थी और जैसा पुलिस वालों ने बताया वैसा ही उसनें बयान दिया है।

उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके भतीजे की लाश सबसे पहले किस आदमी ने देखा था उसे जानकारी नहीं है। लाश उसके ही गाँव के खेत में मिली थी, जिस दिन लाश मिली थी उस दिन वह चौराहे पर था जो लाश मिली थी उसका चेहरा जला हुआ था। पहचानने लायक नहीं था। 06.00 बजे सुबह शोर हुआ था कि एक लाश गाँव के शिवाने में पड़ी हुई है। गाँव का चौकीदार आया था और उसी चौकीदार ने कसया दरोगा जी को बुलाया था। पुलिस के बहुत सारे लोग व अफसर आ गये थे और गाँव के बहुत सारे लोगों की भीड़ भी लग गई थी, सुनकर हम लोग भी वहाँ गये, गये तो हम लोग पहचान लिये फिर लाश के साथ हम लोगों को लेकर दरोगा जी थानें पर चले गये हम लोग के साथ गाँव के रामविलाश यादव जिसके बाप का नाम रमाकान्त है भी थानें पर गये थे, वहीं रामबेलाश से

घटना की सूचना लिखवाकर निशानी अँगूठा लगवाये थे। प्रदर्श क–1 पर बने निशानी अंगूठा की पहचान करते हुए गवाह ने बताया कि यह वही निशानी अंगूठा है जो उसने थानें पर बनाया था। F.I.R. में पाँच लोगों का नाम था और इन्हीं लोगों पर हत्या करने की शंका थी। उसने घटना/हत्या करते हुए किसी को अपनी आँख से नहीं देखा है कब हत्या करके लाश खेत में फेंकी गई थी वह नहीं जानता है। " अभियुक्त मोहन नें मुझसे भतीजे की हत्या के पूर्व में कभी नहीं कहा था कि अपने भतीजा अनिरूद्ध को समझा दो कि हम लोगों की इज्ज़त के साथ खिलवाड़ न करे नहीं तो मैं उसे ठीक कर दूँगा।" इस सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं थी।

साक्षी ने इस कथन से इन्कार किया है कि घटनां की सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। वह झूठी गवाही दे रहा है।

P.W.–2, इन्द्राशन

अभियोजन द्वारा इन्द्राशन को न्यायालय में दिनांक 16.10.2023 को P.W.–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका आधार कार्ड नं०–648051243492 है। अनिरूद्ध यादव की लाश नहर के बाहर चकनाली पर मिली थी। घटना हुए 23 साल हुआ उसका भतीजा अनिरूद्ध की गला कस करके हत्या करके चकनाली विन्देश्वरी गुप्ता के खेत के पास लाश पड़ी थी। उसका भतीजा सफेद शर्ट पूरी बाँह का पहना था। जहाँ लाश पड़ी थी। वहाँ दरोगा जी आये थे। पंचनामां किये थे, जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगवाये थे। साक्षी को कागज सं०–क 12/1 ता क 12/2 दिखाया गया। पंचनामा के पृष्ठ भाग पर बने अपने अंगूठे का निशान का पहचान किया। दरोगा जी उसका ब्यान लिये थे।

प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष

उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जानें पर कथन किया है कि पंचायतनामां में दरोगा जी क्या लिखे थे उसे जानकारी नहीं है। आज भी किसी ने उसे नहीं बताया है कि पंचायतनामां में क्या लिखा है।

P.W.−3, नरेश

अभियोजन द्वारा नरेश को न्यायालय में P.W.−3 के रूप में दिनांक 07.05.2024 को परीक्षित कराया गया है, जिसनें अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 24 साल पहले उसके गाँव के रहने वाले श्री किशुन के लड़के अनिरूद्ध की गला कसके हत्या करके लाश रोड के किनारे विन्देश्वरी गुप्ता के खेत में मिलने की सूचना पर वह भी मौके पर पहुँचा था, उसके साथ−साथ गाँव के और भी बहुत से लोग व पुलिस के लोग भी मौके पर आ गये थे, शव के पंचनामा की कार्यवाही पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गयी। उसे और अन्य चार लोगों को पुलिस के अधिकारी ने पंच नियुक्त करके हम लोगों के सामनें ही पंचनामां की लिखा−पढ़ी की थी और उस पर हम लोगों से भी निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर बनवाया था।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज सं०−क12/1 ता क12/2 पंचनामा प्रपत्र मृतक अनिरूद्ध यादव दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया, साक्षी नें प्रपत्र पर बने अपने स्वंय के निशानी अंगूठा का पहचान किया। राय के रूप में हम सभी ने मृतक की मृत्यु का कारण गला कसके हत्या किया जाना बताया था। दरोगा जी ने उसका कोई ब्यान नहीं लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष

उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जानें पर कथन

किया है कि अनिरूद्ध किस प्रकार से मरा था उसे जानकारी नहीं है, किसी ने मारकर सड़क पर फेंक दिया था। दरोगा जी पंचायतनामा में क्या-क्या लिखा था वह नहीं जानता। वहाँ कई लोग थे, दरोगा जी ने उससे सिर्फ अँगूठा लगवाया था। पंचनामां क्या होता है वह नहीं जानता है। उसको आज पारस लेकर आया है। पारस के बाप का नाम कुक्कुर है, जो मरा था पारस उसके भाई लगते हैं। वहीं कहे कि चलो गवाही देना है तो वह गवाही दे रहा है।

P.W.-4, नत्थू

अभियोजन द्वारा नत्थू को न्यायालय में दिनांक 05.10.2024 को P.W.-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसनें अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से करीब 24 वर्ष पूर्व की है। वह अपनें घर पर था, उसे पता चला कि अनिरूद्ध की हत्या करने वाले अभियुक्तो को पकड़कर गाँव लायी थी तो वह भी इस जानकारी पर मौके पर गाँव के और लोगों के साथ पहुँचा था। पुलिस के लोगों ने मौके से विन्देश्वरी के खेत में एक लाल रंग की शीशी मिली थी दरोगा जी उसको कब्जे में लेकर उसकी लिखा-पढ़ी किये थे उससे भी उस पर निशानी अंगूठा लगवाये थे। फर्द बरामदगी पेपर नं०-क/9 पर अँगूठा निशानी लगा है। जिसके ऊपर उसका नाम नत्थू लिखा है। जब नाम लिखा है तो अँगूठा निशानी उसका ही होगा। इस सम्बन्ध में दरोगा जी उससे पूछतांछ किये थे।

प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष

उक्त साक्षी नें बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जानें पर कथन किया है कि उसके सामने कोई शीशी बरामद नहीं हुई थी। दरोगा जी उसके सामने कोई शीशी नहीं लिए थे। दरोगा गाँव में उसके आये थे तो गाँव के लोग उसे बुलाकर ले गये थे। दरोगा जी को उसनें कोई गवाही नहीं दिया

था। उससे दरोगा जी निशानी अँगूठा नहीं लिया था। किसी नें लगवाया था। उसके जगह पर किसी दूसरे नें लगाया होगा।

P.W.–5, भृगुराशन यादव

अभियोजन द्वारा भृगुराशन यादव को न्यायालय में दिनांक 05.10.2024 को P.W.–5 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना हुए 23–24 साल से अधिक हुआ। मृतक अनिरूद्ध रिश्ते में उसका भतीजा लगता था। वह ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता था। एक दिन उसके भतीजे की लाश विन्देश्वरी के खेत में मिलने की सूचना पर वह भी वहाँ मौके पर गया था तथा गाँव के और अन्य लोग वहाँ गये थे। भतीजे अनिरूद्ध के चेहरे पर तेजाब गिराकर उसका चेहरा जला दिया गया था। जलने से उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। जब तक वह घटनास्थल पर मौजूद था, गाँव के लोग मौजूद थे तब तक पुलिस नहीं आयी थी उसे इस बात की जानकारी है कि उसका भतीजा मड़ि सिंह के यहाँ ड्राइवरी करता था। अधिकतर वहीं रहता था। पुलिस के किसी अधिकारी से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके भतीजे अनिरूद्ध की मौत कैसे हुई और किसने किया इस बात की जानकारी उसे नहीं है। शव मिलने की सूचना पर वह मौके पर गया था।

अभियोजन कथानक का समर्थन न करनें के कारण साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियोजन पक्ष

उक्त साक्षी नें अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जानें पर कथन किया है कि पिपरासी उसके गाँव से लगभग 03 कि०मी० दूर है। उस समय अगल–बगल के गाँव के जब शादी विवाह में नाच होता तो वह देखने जाता था। नाच देखकर आते समय 11–12 बज जाते थे। मिश्रौली

गाँव पिपरासी के पूरब तरफ स्थित है। मणि सिंह का डेरा (घर) खरदेवा में पड़ता है। वह मोहन के साथ अपने भतीजे अनिरूद्ध को वही देखा था। मोहन हरिजन बिरादरी का है। इस बात की जानकारी उसे है। उसे मोहन के बाप का नाम इस समय याद नहीं है। मोहन कितने भाई–बहन है उसे नहीं पता है। उसे आज तक इस बात की जानकारी नहीं हो पायी कि उसके भतीजे अनिरूद्ध की हत्या किसनें की।

साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि उसे इस बात की जानकारी है कि उसके भतीजे अनिरूद्ध की हत्या अभियुक्त मोहन व उसके बहनोई रामेश्वर नें सुगन्धा से प्रेम सम्बन्ध होने के कारण किया था लेकिन आज जान बूझकर इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है।

P.W.–6, शम्भू सिंह

अभियोजन द्वारा शम्भू सिंह को न्यायालय में दिनांक 16.10.2024 को P.W.–6 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से करीब 23–24 वर्ष पूर्व सन् 2000 की है। उसके भाई विचित्र नारायण सिंह जिनको लोग मणि सिंह–मणि सिंह कहते हैं, के यहाँ बगल के एकरिहयाँ गाँव का अनिरुद्ध यादव, मणि सिंह के घर रहकर ट्रैक्टर चलाता था। घटना से कुछ माह पूर्व अनिरुद्ध यादव मणि सिंह के यहाँ ट्रैक्टर चलाने के काम छोड़ दिया था। नरसर के रहने वाले मोहन ने अनिरुद्ध के बारे में उससे कोई बात नहीं की थी। अनिरुद्ध यादव का अवैध संबंध मोहन की मौसी की लड़की सुगन्धा से था कि नहीं, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। मोहन हरिजन ने उससे अनिरुद्ध यादव को समझाने और उसकी मौसी के घर सुगन्धा से मिलने जाने को मना करनें के लिए उससे कभी नहीं बताया।

घटना के बाद उसे यह सुनने में आया था कि अनिरुद्ध यादव की हत्या हो गई, किसने किया उसे इस बात की जानकारी नहीं है। घटनां के संबंध में उसकी किसी पुलिस के अधिकारी या दरोगा जी से कोई बात नहीं हुई और न ही कोई ब्यान लिया।

अभियोजन कथानक का समर्थन न करनें के कारण साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ।

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियोजन पक्ष</u>

उक्त साक्षी नें अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जानें पर कथन किया है आज वह सम्मन से मुकदमें की जानकारी होने पर गवाही देने आया है। वह हाईस्कूल तक पढ़ा लिखा है। मणि सिंह उसके चचेरे भाई है। मणि सिंह के वहाँ अनिरूद्ध यादव लगभग एक–डेढ़ साल रहकर ट्रैक्टर चलाता था। घटना के समय हम लोगों का परिवार भी गाँव में रहता था, इस समय में भी गाँव में रहता है। उसके वहाँ उस समय ट्रैक्टर नहीं था। आवश्यकता पर मणि सिंह के ट्रैक्टर से ही हम लोग भी काम लेते थे। अनिरूद्ध स्वभाव से ठीक था। उसकी जानकारी में उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अनिरूद्ध यादव की हत्या किसने और किसलिए कर दी उसे आज तक जानकारी नहीं है। मणि सिंह के घर के बगल में उसका घर है। मोहन को वह उसके पिता हरिकिशुन के लड़के के तौर से काफी दिन से जानता है। मोहन उससे मिलने पर चाचा कहकर हालचाल बताता था। घटना से कितने दिन पूर्व अन्तिम बार मोहन से उसकी मुलाकात हुई थी। इस समय उसे ध्यान नहीं आ रहा है। मोहन ने उससे अनिरूद्ध यादव के विषय में कोई शिकायत उससे नहीं किया।

साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि मोहन, हरिजन नें उससे अनिरूद्ध यादव की शिकायत की थी और कहा था कि अनिरूद्ध को

मना कर दीजिए कि मौसी के यहाँ सुगन्धा से मिलने न जाये बड़ी बदनामी हो रही है।

साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि उसे इस बात की जानकारी है कि सुगन्धा से अवैध सम्बन्ध के कारण ही मोहन और उसके बहनोई रामेश्वर ने अनिरूद्ध की हत्या कर दी थी।

साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि घटना के सभी तथ्यों की जानकारी उसे सही–सही है और आज जानबूझकर घटना के सही तथ्यों का न बताकर काल्पनिक बयान दे रहा है।

साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि आज वह झूठी गवाही दे रहा है।

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u>

उक्त साक्षी नें बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जानें पर कथन किया है कि अनिरूद्ध यादव की हत्या कौन लोग किये, क्यों किये इसकी जानकारी उसे नहीं है। जिस समय यह घटना हुई थी उस समय वह बाहर था उसे व्यक्तिगत रूप से इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

<u>P.W.–7, सेवानिवृत्त विभूती प्रसाद कन्नौजिया (एफ०आई०आर० लेखक)</u>

अभियोजन द्वारा सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक विभूती प्रसाद कन्नौजिया, एफ०आई०आर० लेखक/कायमीकर्ता को न्यायालय में दिनांक 14.02.2025 को P.W.–7 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.04.2000 को वह बतौर हेड मोहर्रिर कसया थाने पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा पर वादी विरजा यादव एक लिखित तहरीर लेकर जो रामविलास यादव द्वारा लिखा गया था, अपनां निशानी अँगूठा लगा कर थाना हाजा पर आया

था। उसके लिखित तहरीर के आधार पर थानाध्यक्ष महोदय के आदेश से उसने मामले की चिक एफ०आई०आर० मु०अ०सं० 224/2000 धारा 302 IPC विरुद्ध मोहन, छठ्ठू, जयराम व काशी का चिक एफ०आई०आर० उसने दिनांक 02.04.2000 को समय 9:05 बजे स्वयं के हस्तलेख में अंकित किया है। साथ ही साथ मामले की जी० डी० रपट कायमी जी० डी०/रपट नं० 19 दिनांक 02.04.2000 समय 09:05 बजे उसने अपने हस्तलेख में अंकित किया है। मामले की पंजीकृत होने का विवरण वादी द्वारा लाये गये तहरीर के पृष्ठ भाग पर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर के अंकित किया। साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क 4 चिक एफ०आई०आर० दिखाया गया, देख–पढ़ कर साक्षी ने स्वयं के हस्तलेख में चिक एफ०आई०आर० होने की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क 7 का जी०डी० रपट कायमी दिखाया गया, जिसे देख पढ़ कर साक्षी नें स्वयं द्वारा तैयार की गई जी०डी० कायमी की कार्बन छायाप्रति होने की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। साक्षी नें सामिल पत्रावली प्रदर्श क–1 पृष्ठ भाग अंकित मुकदमा पंजीकृत होने का विवरण देखकर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान किया साक्षी नें बताया कि नकल चिक, नकल रपट वह जिल्द पंचायतनामा मय सम्बन्धित कागजात S.I. योगेन्द्र सिंह को मय वास्ते विवेचना किया गया जो मय फोर्स के मौके पर रवाना हुआ। विवेचक ने इस सम्बन्ध में पूछताछ कर उसका ब्यान लिया है।

<u>**प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष**</u>

उक्त साक्षी नें बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जानें पर कथन किया है कि थाने पर तहरीर लेकर विरजा यादव आया था तहरीर लेकर

उसके पास ही आया था, फिर बाद में कहा कि S.H.O. साहब बगल में बैठे थे उनको तहरीर दिया था। उसे घटना का दिन व समय याद नहीं आ रहा है। घटना दिनांक 01.04.2000 समय 5–6 के बीच में घटा था। घटना शाम की है। घटना घटने के अगले दिन तहरीर लेकर आया था। सुबह 9:5 पर तहरीर लेकर आया था। तहरीर वादी ने लिखवाकर लेकर आया था। उसने वादी मुकदमा को F.I.R. दर्ज करने के बाद द्वितीय प्रति दिया था। उसने उसका F.I.R. दर्ज किया था व उसको पढ़कर सुनाया था। उसके बाद तुरन्त जी०डी० उसी दिन तैयार किया था। वह घटनास्थल पर नहीं गया था। थाने से घटनास्थल की दूरी 09 कि०मी० है। थानें पर रजि० नं०–8 होता है जिसमें थानें से गाँव की दूरी अंकित रहता है। उसी को देखकर उसने 9 कि०मी० F.I.R. में दूरी दर्ज किया है। थानें पर जी०डी० तैयार करने के बाद तुरन्त S.I. जोगेन्द्र नाथ सिंह मय हमराही सहित और कौन–कौन पुलिस वाले उनके साथ गये उनका नाम उसे इस समय याद नहीं आ रहा है।

साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि उसके द्वारा चिक F.I.R. नियमानुसार नहीं दर्ज किया गया। साक्षी नें इस कथन से इन्कार किया है कि थानें पर बैठकर वादी का तहरीर स्वयं लिखकर उसी को F.I.R. उसके द्वारा दर्ज किया गया है।

P.W.–8, मु० कासिम (विवेचक)

अभियोजन द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक मु० कासिम, विवेचक को न्यायालय में दिनांक 07.04.2025 को P.W.–8 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2000 में थाना कसया में S.O. के पद पर कार्यरत था। उसकी

अनुपस्थिति में दिनांक 02.04.2000 को थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर में मु०अ०सं०– 224/2000, धारा–302 भा०द०सं० का विरूद्ध मोहन, छट्ठू, जगराम व काशी के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक योगेन्द्रनाथ सिंह द्वारा दिनांक 02.04.2000 को ग्रहण कर मामले की विवेचना में मामूर होकर उनके द्वारा G.D. पर्चा नं०–1 किता किया गया। जिसमें नकल चिक, नकल रपट व पंचायतनामा का अवलोकन कर तथा वादी मुकदमा गिरजा यादव का ब्यान लेकर वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर विवरण संलग्न C.D. किया उसी दिन समई साक्षीगण ओमप्रकाश, महेश आदि का ब्यान लेकर संलग्न C.D. किया है। साथ ही साथ उसी दिन पंचायतनामा साक्षी खुशहाल, इन्द्रासन, मोका प्रसाद, अशर्फी यादव, नरेश यादव का ब्यान लेकर तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–506 I.P.C. की बढ़ोत्तरी किये जानें का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया है। दिनांक 03.04.2000 को योगेन्द्र नाथ सिंह ने C.D. पर्चा नं०–2 किता किया है जिसमें अभियुक्तगण के तलाश किये जानें का विवरण अंकित किया है। दिनांक 04.04.2000 को C.D. पर्चा नं०–3 व दिनांक 05.04.2000 को C.D. पर्चा नं०–4 योगेन्द्र सिंह नें किता किया है। अभियुक्तगण के तलाश किये जानें व नहीं मिलने तथा अग्रिम विवेचना S.O. कसया द्वारा किये जानें का विवरण अंकित किया है। C.D. पर्चा नं०– 2 में वाई० एन० सिंह नें मृतक अनिरूद्ध का P.M. रिपोर्ट का अवलोकन का मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण दम घुटने के कारण होना दर्शित अंकित करते हुए पर्चा किता किया गया।

दिनांक 06.04.2000 को अवकाश से वापस आने पर मामले

की विवेचना S.O. द्वारा विवेचना ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी। मामले की विवेचना में मामूर होकर C.D. पर्चा नं०–5 किता किया जिसमें वाई०एन० सिंह द्वारा किता किये गये पर्चाजात का अवलोकन कर तथा गवाह भृगुराशन का बयान लेकर तथा अन्य गवाहों की तलाश किये जानें तथा अभियुक्त के तलाश किये जानें व मामले में धारा–201 I.P.C. की बढ़ोत्तरी किये जानें का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता गया है।

मामले की विवेचनां में मामूर होकर दिनांक 09.04.2000 को C.D. पर्चा नं०–6 किता किया है। जिसमें अभियुक्तगण मोहन व रामेश्वर को दिनांक 09.04.2000 को गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया गया कि अनिरूद्ध यादव को मौसी के घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसी के मफलर से गला कसकर उसकी हत्या कर दिया और उसे उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया घर से बैटरी का पानी एक शीशी में लाकर उसके चेहरे पर डाल दिया था कि मृतक की पहचान न हो सके, जिस शीशी में बैटरी का पानी ले गये थे, मृतक के चेहरे पर डालने के बाद शीशी को वहीं रोड पर गेहूँ के खेत में फेंक दिया था। उसी शीशी को चल कर बरामद करा सकते है। अभियुक्तों के कथन पर विश्वास करके उनकी निशानदेही पर उक्त घटना में प्रयुक्त तेजाब की शीशी जहाँ फेंकना बताया था उसे बरामद करनें के उद्देश्य से अभियुक्त मोहन व रामेश्वर की निशानदेही पर मौके पर अभियुक्तो को लेकर काफी लोग आ गये थे। गवाह नत्थू व हरिलाल को साथ लेकर मकसद बरामदगी शीशी बताकर साथ लिया। अभियुक्त मोहन व रामेश्वर नें आगे–आगे चलकर एक अदद शीशी निकालकर दिया और बताया कि इसी शीशी में बैटरी का पानी लाये थे व अनिरूद्ध के चेहरे पर डाला था। शीशी को कब्जे में लेकर देखा गया

तो कुछ बूंद द्रव्य दिखाई दे रहा था। अतः समक्ष गवाहान शीशी कब्जे में लेकर फर्द तैयार किया तथा शीशी को सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया। अभियुक्तगण के बयान धारा–164 द०प्र०सं० अंकित करने हेतु प्रतिवेदन दिये जानें का विवरण अंकित किया पर्चा किता किया है। पुनः दिनांक 13.04.2000 को C.D. No.–7 किता किया है, जिसके फर्द गवाह नत्थू, हरिलाल व बरामदगी स्थल शीशी का नक्शा तैयार कर संलग्न C.D. किया तथा गवाह विचित्र नरायन सिंह व वादी वृजा यादव का पुनः ब्यान अंकित करते हुए पाया कि अनिरूद्ध यादव को अभियुक्त मोहन अपनी मौसी की लड़की सुगन्धा का अवैध सम्बन्ध होने का कारण अपने बहनोई रामेश्वर के साथ मिलकर अनिरूद्ध यादव का हत्या कर दिया। विवेचना से अब तक की मामले में जयराम, छट्ठू व काशी की नामजदगी गलत पाये जानें का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया है।

दिनांक 24.04.2000 को C.D. पर्चा नं०–8 किता किया है जिसमें गवाह देनें पर यादव गवाह शम्भू सिंह का ब्यान अंकित करते हुए पर्चा किता किया है। पुनः दिनांक 20.05.2000 को पर्चा नं०–9 किता किया जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जानें का सी०जे०एम० न्यायालय से अनुरोध किया। पुनः दिनांक 21.06.2000 को मामले की विवेचना में मामूर होकर C.D. पर्चा नं०–10 किता किया है, जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लाट नं०–4422 पर दाखिल होने का विवरण अंकित किया है। उसी दिन अब तक की तमामी विवेचना ब्यान वादी, ब्यान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल व अन्य सम्बन्धित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मोहन व रामेश्वर के विरूद्ध धारा–302, 506, 201 I.P.C. का

जुर्म बखूबी साबित पाते हुए अभियुक्तगण मोहन व रामेश्वर का चालान जरिये आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किये जाने व विवेचनां समाप्त करने का पर्चा किता किया है।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क–9 फर्द बरामदगी शीशी दिखाया गया देख–पढ़कर फर्द स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कगाज सं० क–19 नक्शा नजरी बरामदगी स्थल शीशी दिखाया गया देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर होनें की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया साथ में तैनाती में कारण S.I. योगेन्द्र नाथ सिंह को वह अक्सर लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर बनाते देखा है वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता है।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क–8 नक्शा–नजरी दिखाया गया, देख–पढ़कर S.I. योगेन्द्रनाथ सिंह की हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क12/1 ता क12/2 पंचनामा प्रपत्र मृतक अनिरूद्ध यादव दिखाया गया देख–पढ़कर S.I. योगेन्द्र नाथ सिंह की हस्तलेख व हस्ताक्षर की साक्षी नें पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

सामिल पत्रावली कागज सं० क13 फोटोनाश को देख साक्षी ने S.I. योगेन्द्रनाथ सिंह की हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क15 नमूना मोहर साक्षी को दिखाया गया S.I. योगेन्द्र नाथ के हस्तलेख व हस्ताक्षर होनें की

पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

सामिल पत्रावली क–16 पुलिस फार्म–13 दिखाया गया देखकर साक्षी ने S.I. योगेन्द्र नाथ सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होनें की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं०–क10/1 ता क10/2 दिखाया गया देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख में अभियुक्तो व माल का दाखिला की जी०डी० की कार्बन छायाप्रति स्वयं के हस्तलेख में होनें की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं०–क21/1 व क21/2 डाकेट प्रमाण पत्र की छायाप्रति दिखाया गया देखकर स्वयं के हस्ताक्षर में होनें की साक्षी नें पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० क3 आरोप पत्र दिखाया गया देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होनें की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

07– दिनांक 20.11.2025 को अभियुक्तगण मोहन व रामेश्वर का ब्यान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण नें अभियोजन कथानक गलत बताते हुए वादी मुकदमा के ब्यान को झूठा बताया है और तथ्य के अन्य साक्षीगण के ब्यान के संबंध में कुछ नहीं कहा है। साथ ही एफ०आई०आर० लेखक व विवेचक के ब्यान के संबंध में गलत एण्टीटाइम एफ०आई०आर० पंजीकृत किया जाना एवं गलत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देनें से इन्कार किया है। इसके अतिरिक्त विशेष कथन में अपनें

बचाव में अभियुक्तगण नें कुछ नहीं कहा है।

बहस

08– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री गोरख प्रसाद यादव द्वारा बहस में कहा गया है कि मौसेरे भाई मोहन व मोहन का मौसेरा भाई रामेश्वर जो लड़की के रिश्तेदार है तथा इन दोनों को जानकारी हो गई थी इश्क की, तब मृतक की हत्या कर दी गई तथा बोतल से तेजाब मृतक के शरीर पर गिरा दिया था जिससे कि कोई पहचान न सकें। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के चाचा बृजा यादव नें लिखाई है तथा अभियोजन केस को पुष्ट किया है। पी०डब्लू०–2 इन्द्राशन, व पी०डब्लू०–3 नरेश पंचनामे के गवाह हैं। पी०डब्लू०–4, नत्थू की निशानदेही पर लाल शीशी बरामद हुई है। पी०डब्लू०–5, भृगासन व पी०डब्लू०–6, शम्भू सिंह है जिन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि मृतक मणि सिंह के घर ट्रैक्टर चलाता था और उनके घर पर ही रहता था। क्रूर हत्या हुई है। मात्र एक गवाही पर भी सजा हो सकती है। डाक्टर नहीं है। पोस्टमॉर्टम से सम्बन्धित डाक्टर तलब कराने हेतु अन्तर्गत धारा–311 द०प्र०सं० खारिज हो चुका है। डाक्टर का गवाही पढ़ा जायेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। मृतक का मौसी की लड़की सुगन्धा से संबंध था जैसा कि विवेचक ने कहा है। गवाहान सूची में सुगन्धा नहीं है। विवेचक नें सुगन्धा को गवाह नहीं बनाया है। मैनेजर (चक्षुदर्शी गवाह) को अभियोजन नें परीक्षित नहीं कराया है। सन् 2000 का मामला है। इस प्रकार अभियोजन नें अपना केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है।

09– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट द्वारा बहस में मुख्य्य रूप से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का सूचक वादी मुकदमा बृजा यादव है। मृतक का नाम अनिरूद्ध है जो प्रथम सूचक का भतीजा है। दिनांक 01.04.2000 की घटना है और समय की जानकारी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घण्टे की देरी से दिनांक 02.04.2000 को समय 09.05 बजे पर दर्ज करायी गई है। सीधा साक्ष्य का मामला नहीं है। परिस्थितिजनक साक्ष्य का केस है। हेतु होना चाहिए या आखिरी बार मृतक के साथ देखा जाना चाहिए जो कि नहीं देखा गया। परिस्थितियों की कड़ी आपस में नहीं जुड़ी है जैसा कि Sharad Birda Chand वाले केस में कहा गया है। वादी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। शक कभी भी सबूत का स्थान नहीं ले सकता। मृतक का अभियुक्तगण के साथ आना–जाना पत्रावली पर साबित नहीं है। किसी ने हत्या के पूर्व या पश्चात मृतक को नहीं देखा। अभियोजन ने कुल 8 गवाह पेश किये है। पी०डब्लू०–2 इन्द्राशन, पी०डब्लू०–3 नरेश व पी०डब्लू०–4 नत्थू पंचनामें के गवाह है। पी०डब्लू०–5, भृगुराशन मृतक अनिरूद्ध यादव का चाचा है जो पक्षद्रोही है। पी०डब्लू०–6, शम्भू सिंह ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही घोषित हुआ है। पी०डब्लू०–7, विभूती प्रसाद कन्नौजिया F.I.R. लेखक है। पी०डब्लू०–8, मु० कासिम विवेचक है। S.I. योगेन्द्र नाथ/विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है। हथियार बरामदगी (27 साक्ष्य अधिनियम) के अनुसार नहीं है। कड़ी आपस में नहीं जुड़ी है। पी०डब्लू०–1, बृजा यादव के गवाही के अनुसार 5 लोगों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है परन्तु आरोप पत्र में 2 अभियुक्तगण का नाम है। पी०डब्लू०–2, इन्द्राशन पंचायतनामा का गवाह

है जिसनीं अपने गवाही में कहा है कि, "मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या हुआ।" पी०डब्लू०–3, नरेश पंचायतनामा का गवाह है जिसनें अपने गवाही में कहा है कि, "क्या लिखा था, जानकारी नहीं है।" पी०डब्लू०–4, नत्थू है जिसने गवाही में कहा है कि, "लाश की तरफ खाली शीशी मिली थी" और यह भी कहा है कि " मेरे सामने कोई शीशी बरामद नहीं हुई थी।" किसी गवाह ने अभियोजन केस को सपोर्ट नहीं किया है। कोई बरामदगी नहीं है। पी०डब्लू०–7, विभूती प्रसाद कन्नौजिया औपचारिक गवाह है जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट साबित किया है। पी०डब्लू०–8, मु० कासिम विवेचक है। पी०डब्लू०–7, विभूती प्रसाद कन्नौजिया के ब्यान में है कि दोनों अभियुक्तगणों से कोई बरामदगी नहीं है। कोई बरामदगी का गवाह नहीं है न ही कोई बरामदगी है। अभियोजन के पास चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। शून्य साक्ष्य का मामला है। गुण–दोष पर देखा जाय तो पंचायतनामा पहले हुआ और प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट शक में लिखायी गई है। तथ्य की बाबत किसी साक्षी ने कोई ब्यान नहीं दिया है। F.S.L. भी नहीं हुआ है जो तेजाब या पानी है इसका भी पता नहीं चला है। जिस लड़की सुगन्धा से प्रेम–प्रसंग बताया गया है उसे परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा केस साबित नहीं किया गया है तथा अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जानें के मुश्तहक हैं।

10– मैंनें राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री गोरख प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार पाण्डेय, एडवोकेट को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

11– प्रस्तुत सत्र परीक्षण के सम्यक् निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु अन्तर्गत धारा–354(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता विरचित किया जाता हैंः–

(I). **क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है?**

12– प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचक बृजा यादव मृतक अनिरूद्ध यादव का चाचा है। जिसनें थानें में तहरीर प्रस्तुत की थी तथा घटनां दिनांक 01.04.2000 की दिखाई है और मुख्य रूप से कहा है कि उसका भतीजा मड़ि सिंह के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था और लगभग 10 दिन पहले किसी कारण उसके भतीजे को ट्रैक्टर चलानें से मना कर दिया गया था, पुनः उसके घर आकर उसके भतीजे को ट्रैक्टर चलाने हेतु ले गये तब उसका भतीजा ट्रैक्टर चलाने लगा, परन्तु उसके भतीजे का अवैध सम्बन्ध हरिकिशुन हरिजन की लड़की से हो गया था। यह बात अभियुक्तगण को अच्छी नहीं लगती थी। दिनांक 01.04.2000 को जब उसका भतीजा अनिरूद्ध मड़ि सिंह के यहाँ से करीब 05.00 बजे शाम नरसर चौराहे पर काशी के दुकान पर पान खाया और सूरज बनिया के यहाँ सुर्ती खाने गया तब रात में घर नहीं आया और उसके भतीजे की लाश सड़क पर बिन्देश्वरी के खेत के पास मिली है और उसे पूरा विश्वास है कि मोहन और उसके साथियों नें उसके भतीजे की हत्या कर दी है।

13– यह तहरीर दिनांक 02.04.2000 को थाने पर दी गई अर्थात 01 दिन की देरी से दी गई परन्तु देरी का कोई कारण नहीं दर्शाया गया। नक्शा–नजरी 3 क के अनुसार स्थान “X” जो खेत गेहूँ विन्देश्वरी देवी का

है जिसमें लाश बरामद हुई और नक्शा–नजरी दिनांक 02.04.2000 को ही बनाया गया।

14– मृतक अनिरूद्ध यादव का पंचनामां दिनांक 02.04.2000 समय 13.00 बजे हुआ तथा पंचनामें के अनुसार मृतक के नाक में खून, मुँह में सूजन, कमर में चोट, सीने पर चोट, गर्दन पर खरास, पीठ पर जगह–जगह नीलगू के निशान थे तथा राय पंचान के अनुसार पोस्टमार्टम हेतु सुझाव दिया गया। पंचनामें पर गवाह खुशीलाल, गवाह इन्द्राशन, गवाह भोवा, गवाह अशर्फी यादव, गवाह नरेश के निशानी अँगूठा अंकित है। पत्रावली पर पोस्टमार्टम अनिरूद्ध यादव मौजूद है। जिसमें मृतक की उम्र लगभग 20 वर्ष दर्शायी गई है तथा मृत्यु का कारण Asphyxia due to antemortem injuries दर्शाया गया है तथा मृतक की गर्दन आदि पर चोटें अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट चार व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज की गई परन्तु आरोप पत्र मात्र दो अभियुक्तगण मोहन व रामेश्वर के विरूद्ध विरचित किया गया।

15– सत्र न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना द्वारा अभियुक्तगण मोहन व रामेश्वर के विरूद्ध धारा–302/34, 201 भा०द०सं० का आरोप दिनांक 19.03.2001 को विरचित किया गया।

16– केस डायरी में फर्द बरामदगी दिनांकित 09.04.2000 मौजूद है तथा फर्द बरामदगी में अभियुक्तगण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है तथा शीशी बरामद होना बताया गया है तथा फर्द बरामदगी पर मोहन व रामेश्वर तथा नत्थू व हरी का निशानी अंगूठा मौजूद है तथा फर्द की नकल अभियुक्तगण मोहन व रामेश्वर को दिया जाना अंकित है।

17– मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया जाता है:–

मौखिक साक्ष्य में **पी०डब्लू०–1 बृजा यादव** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य को पुष्ट किया गया है तथा तहरीर पर बनें अपनें निशानी अँगूठे को भी पुष्ट किया है। जिरह में पी०डब्लू०–1 बृजा यादव नें विशेष रूप से यह कहा है कि उसका भतीजा अनिरूद्ध 18–19 वर्ष का था और किसी मड़ि सिंह के यहाँ रहता था और उसका हरिकिशुन की लड़की से नाजायज संबंध हो गया था और इस तथ्य की जानकारी उसके भतीजे की हत्या के बाद हुई जब पुलिस नें उसे बताया। पी०डब्लू०–1 यह भी बताने में असफल रहा है कि लाश को किस व्यक्ति नें देखा है और यह भी कहा है कि जब लाश मिली तब उसका चेहरा जला हुआ था। जिरह में पी०डब्लू०–1 ने यह भी कहा है कि हत्या करते हुए उसनें किसी को अपनीं आँखों से नहीं देखा न ही उसे यह जानकारी है कि हत्या के पूर्व उसके भतीजे अनिरूद्ध को समझा देनें की बाबत किसी नें उसे धमकी दी थी। पी०डब्लू०–1 चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पी०डब्लू०–1 नें मात्र स्वयं द्वारा दी गयी तहरीर को पुष्ट किया है परन्तु मृतक की मृत्यु कैसे हुई तथा मृत्यु का क्या कारण था और लाश को सबसे पहले किसनें देखा आदि की बाबत गवाह कोई युक्ति–युक्ति जवाब नहीं दे पाया है। अर्थात पी०डब्लू०–1 ने अभियुक्तगण के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है तथा सीधे तौर पर अभियुक्तगण पर कोई आरोप भी नहीं लगाया है। घटना के तथ्यों की कड़ी को जोड़ने का सबसे अधिक भार पी०डब्लू०–1 पर था क्योंकि यह परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला था परन्तु पी०डब्लू०–1 अभियोजन कहानी के तात्विक तथ्यों को किसी भी कोण से पुष्ट नहीं कर पाया है।

18– **पी०डब्लू०–2 इन्द्राशन** व **पी०डब्लू०–3 नरेश** पंचनामें के गवाह है जिस कारण घटनां क्यों घटी तथा अभियुक्तगण इस घटनां में किस

प्रकार से शामिल थे इसकी बाबत कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है अर्थात पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 की गवाही का कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं हो पाया है।

19– **पी०डब्लू०–4 नत्थु** नें मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घटनां 24 साल पुरानी है और यह भी कहा है कि पुलिस के लोगों ने मौके से विन्देश्वरी के खेत से एक लाल रंग की शीशी बरामद व कब्जे में ली थी जिसकी बाबत उसका निशानी अँगूठा फर्द बरामदगी का०सं०–क/9 पर अंकित है परन्तु यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि उसनें प्रथम पंक्ति में ही कह दिया है कि उसके सामने कोई शीशी बरामद नहीं हुई थी और न ही दरोगा जी नें उसकी कोई गवाही ली थी और उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार फर्द बरामदगी प्रारम्भ से अविश्वनीय साबित हो जाती है क्योंकि फर्द बरामदगी के गवाह नें ही कह दिया है कि उसके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई थी।

20– **पी०डब्लू०–5 भृगुराशन यादव** नें अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि वह मृतक अनिरूद्ध रिश्ते में उसका भतीजा लगता था तथा वह ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता था और विन्देश्वरी के खेत में लाश मिलनें की सूचना पर मौके पर गया था जहाँ उसनें देखा कि अनिरूद्ध यादव का चेहरा जला हुआ था तथा चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। मौके पर कई लोग मौजूद थे। परन्तु उसे यह जानकारी नहीं है उसके भतीजे की मृत्यु कैसे हुई और वह शव मिलनें की सूचना पर गया था। जब पी०डब्लू०–5 से जिरह की गई तब उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे आज तक जानकारी नहीं है कि उसके भतीजे की हत्या किसनें किया है। अभियोजन द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि इस गवाह नें मुख्य परीक्षा में ही

कह दिया था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसका भतीजा मणि सिंह के यहाँ ड्राइवरी करता था या वह वहाँ पर रहता था। इस प्रकार पी०डब्लू०–5 की गवाही का भी कोई लाभ अभियोजन पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

21– **पी०डब्लू०–6** के रूप में **शम्भू सिंह** नें गवाही दी है जिसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि इस गवाह नें भी मुख्य परीक्षा में कह दिया था कि अनिरूद्ध यादव का अवैध संबंध मोहन की मौसी की लड़की सुगन्धा से था कि नहीं उसे इस बारे में जानकारी नहीं है और न ही घटना के संबंध में किसी पुलिस के अधिकारी या दरोगा नें उससे कोई बात की और न ही उसका कोई ब्यान लिया। पी०डब्लू०–6 नें अपनीं जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि मोहन नें उससे अनिरूद्ध यादव की बाबत कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही उसे जानकारी है कि सुगन्धा से अवैध संबंध होनें के कारण मोहन व उसके बहनोई रामेश्वर ने अनिरूद्ध की हत्या की। पी०डब्लू०–6 की गवाही का भी कोई लाभ अभियोजन पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

22– **पी०डब्लू०–7 सेवानिवृत्त विभूती प्रसाद कन्नौजिया (एफ०आई०आर० लेखक)** नें अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर को पुष्ट किया है। यह औपचारिक साक्षी है परन्तु अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध इस गवाह से कोई विशेष तथ्य नहीं कहलवा पाया है।

23– **पी०डब्लू०–8 मु० कासिम (विवेचक)** नें अपनीं मुख्य परीक्षा में विवेचना के तथ्यों को पुष्ट करने का ब्यान किया है परन्तु इस गवाह से जिरह नहीं की गई है। मुख्य परीक्षा में विवेचक घटनां की तथ्यों की कड़ी तथा अपनी विवेचना को युक्ति–युक्ति रूप से साबित नहीं कर पाया हैं जिस

कारण विवेचक की गवाही का भी कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

24– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० में एफ०आई०आर० एण्टी टाईम दर्ज किया जाना बताया गया है तथा आरोप पत्र गलत प्रेषित करना बताया गया है।

25– इस प्रकार यदि देखा जाय तो यह सीधे साक्ष्य का मामला नहीं है क्योंकि घटनां का कोई चक्षुदर्शी गवाह नहीं है। पी०डब्लू०–1 बृजा यादव को घटना के तात्विक तथ्यों की जानकारी नहीं है। पी०डब्लू०–2 इन्द्राशन, पंचनामें का गवाह है और इन्हें भी घटना की जानकारी नहीं है। इसी प्रकार पी०डब्लू०–3 ता पी०डब्लू०–8 को भी घटनां के तात्विक तथ्यों की जानकारी नहीं है। फर्द बरामदगी की बाबत पी०डब्लू०–4 नत्थू नें कह दिया है कि उसके सामनें कोई शीशी बरामद नहीं हुई है। शीशी में क्या था तथा शीशी को F.S.L. भेजा या नहीं इस बारे में भी अभियोजन नें कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एक दिन की देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज करायी गई। सुगन्धा, जिसे मृतक से अवैध संबंध बनाये गये है उसे भी गवाही में पेश नहीं किया गया है। यहाँ तक कि P.M.R. भी किसी डाक्टर द्वारा पुष्ट नहीं कराई गई है जिस कारण संपूर्ण अभियोजन केस धाराशायी हो जाता है। घटनां के तथ्यों की कड़ी किसी भी कोण से आपस में नहीं जुड़ पायी है। अभियोजन कहानी विश्वसनीय नहीं है। संदेह कभी भी सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।

26– प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएँ लागू होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जाता हैः–

(I)- 2017 (1) ACR 75 (SC), H.D. Sikand (D) through L.R.s. Versus Central Bureau of Investigation and another:-

"Indian Penal Code, 1860–Section 302–Explosive Substances Act, 1908–Sections 3 and 4–Murder–Explosion of bomb resulting instantaneous death–Acquittal–case found to be totally dependent upon circumstantial evidence–Prosecution failed to pass tests as laid down by Apex Court in the case of Sharad Birdhichand Sarda vs. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116, to bring home guilt of accused–High Court as opined after analyzing facts and evidence had correctly come to conclusion–Findings of acquittal recorded by High Court found to be plausible, logical and persuasive reached by materials on record and command for affirmation–Appeals being devoid of merits dismissed."

(II)- <u>Noorahammad & Others Vs. State of Karnataka, AIR 2016 SC 679</u> *wherein it has been held as– "Conviction not tenable if material contradictions in prosecution evidence cast a shadow of doubt upon the prosecution story and render the same unreliable and not trustworthy in the eyes of law."*

27– अभियोजन अपनें केस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार अवधार्य बिन्दु–1 बहक अभियुक्तगण विरूद्ध अभियोजन निर्णीत किया जाता है।

28– अतः उक्त दिए गए कारणों के मद्देनजर अभियुक्तगण मोहन पुत्र हरिकिशुन हरिजन व रामेश्वर पुत्र भग्गन हरिजन के विरूद्ध धारा–302/34, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विरचित आरोप के लिए दोनों अभियुक्तगण को दोषी नहीं पाया जाता है। तदनुसार प्रश्नगत दोनों अभियुक्तगण आरोपित आरोप से दोषमुक्त किए जानें योग्य हैं।

आदेश

29– सत्र परीक्षण संख्या–02/2001, राज्य बनाम मोहन व अन्य, मु०अ०सं०–224/2000, धारा–302/34, 201 भा०द०सं०, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण मोहन पुत्र हरिकिशुन हरिजन व रामेश्वर पुत्र भग्गन हरिजन को उनके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

30– दोनों दोषमुक्त अभियुक्तगण मोहन पुत्र हरिकिशुन हरिजन व रामेश्वर पुत्र भग्गन हरिजन जमानत पर हैं। उनके द्वारा धारा–437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पूर्व में दाखिल व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतदारों के अतिरिक्त अन्य दाखिल जमानत बंधपत्र खण्डित किए जाते हैं तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

31– प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित माल मुकदमाती यदि कोई हों तो इस प्रकरण की अपील योजित होनें की दशा में अपील के निस्तारण तक सुरक्षित रखे जाएँ, अन्यथा बाद मियाद अपील, अपील होनें की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अपील न होनें की दशा में नियमानुसार निस्तारित किए जाएँ।

दिनांकः31.07.2026 **(संजीव कुमार त्यागी)**
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

यह निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः31.07.2026 **(संजीव कुमार त्यागी)**
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.07.31 16:52:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court